



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456 010

टैक्सी परमिट वाहन किराये पर अनुबंधित करने हेतु
ई-निविदा प्रपत्र

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010

फोननं. 0734-2527071

ई-मेल: engg.uds@sanchidairy.com

ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1,000.00 (रु. एक हजार मात्र)

महाप्रबंधक(सं.सं.यातायात)

प्रभारी(एमआईएस)

प्रभारी(यांत्रिकी/क्रय)

प्रभारी(वित्त)

प्रभारी(गु.नि.)



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527071

E-mail: engg.uds@sanchidairy.com, udsplant@yahoo.com

क्रमांक : उ.स.दु.सं./यातायात/2025/3170

दिनांक: 28/07/2025

— ई-निविदा सूचना:—

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन में दो नग टैक्सी परमिट वाहन (अर्टिगा एवं बोलेरो) को 1वर्ष किराये पर चलाने हेतु ई-निविदा आंगत्रित की जाती है। ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रु. 1,000.00 (रु. एक हजार मात्र) ऑनलाइन (www.mptenders.gov.in) पर भुगतान कर दिनांक 31.07.2025 से क्रय की जा सकती है। निविदा प्रपत्र मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ की वेबसाइट (www.sanchidairy.com) पर भी देखा एवं पढ़ा जा सकता है। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 20.08.2025 दोपहर 2:00 बजे तक है। समस्त निविदा अथवा एक निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना केवल ऑनलाइन ही जारी की जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

महाप्रबंधक (सं.सं./यातायात)

प्रभारी यांत्रिकी/क्रय)

प्रभारी (वित्त)

प्रभारी (एमआईएस)

प्रभारी (इ.नि.)



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527071

E-mail: engg.uds@sanchidairy.com, udsplant@yahoo.com

क्रमांक : उ.स.दु.सं. / यातायात / 2025 / 3170

दिनांक: 28/07/2025

ई-निविदा प्रपत्र		
निविदा कार्य- टैक्सी परमिट वाहन किराये पर अनुबंधित करने हेतु ई-निविदा प्रपत्र		
	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु.1000.00/- (अक्षरी- रु.एक-हजारमात्र)
01.	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय प्रारंभ करने की दिनांक एवं समय।	दिनांक: 31.07.2025 दोपहर 3.00 बजे से
02.	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 20.08.2025 दोपहर 2.00 बजे तक
03.	ई-निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 20.08.2025 दोपहर 2.00 बजे तक
04.	तकनीकी प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	दिनांक: 21.08.2025 दोपहर 2.00 बजे
05.	वित्तीय प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	तकनीकी अर्हता पूर्ण होने के उपरांत
05.	ई-निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन (म.प्र.) 456010
06.	पत्र व्यवहार हेतु पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन (म.प्र.) 456010
07.	अमानत राशि	रु. 10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) प्रतिवाहन केवल ऑनलाइन भुगतान द्वारा

महाप्रबंधक(सं.सं.)

प्रभारी(यांत्रिकी/क्रय)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

प्रभारी(वित्त)

प्रभारी(एमआईएस)

प्रभारी(गु.नि.)

परिशिष्ट (अ)

सामान्य नियम एवं शर्तें

- 01- उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के द्वारा दो नग टैक्सी वाहन अर्टिगा एवं बोलेरो के वार्षिक अनुबंध पर अनुबंधित करने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।
- 02- किसी भी दर प्रपत्र को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के पास सुरक्षित है।
- 03- ई-निविदा प्रपत्र एम.पी. ई-टेण्डर के पोर्टल www.mptenders.gov.in पर राशि रु 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र) ऑनलाइन भुगतान कर दिनांक 31.07.2025 से क्रय की जा सकती है।
- 04- निर्धारित समय तक भरे गये ई-निविदा के तकनीकी प्रपत्र कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के प्रांगण में एम.पी. ई-टेण्डर के वेबसाइट www.mptenders.gov.in के माध्यम से दिनांक 21.08.2025 को दोपहर 2:00 बजे उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। केवल ऑनलाइन निविदा प्रपत्रों को ही मान्य किया जायेगा।
- 06- तकनीकी अर्हताएं पूर्ण होने के उपरान्त निविदाओं के वित्तीय प्रपत्र (Price Bid) ऑनलाइन खोली जायेगी।
- 07- निविदाकर्ता को निविदा के साथ संपूर्ण पता, दूरभाष नंबर/मोबाइल/ई-मेल/टिननंबर/पेन/जी.एस.टी. नंबर आदि की पूर्ण जानकारी निविदा फार्म में भर कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं पेन नंबर की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से ऑनलाइन अपलोड करें।
- 08- निविदा में अंकित दर में सगरत कर सम्मिलित होना चाहिये।
- 09- दर प्रस्तुतकर्ता के पास किसी प्रतिष्ठित निजी/सहकारी/शासकीय संस्था में वाहन अनुबंधित किया हो, तो कार्य आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें।
- 10(अ)- वाहन मॉडल वर्ष 2024 अथवा नवीनतम के ही स्वीकार किया जावेगें।
- 10(ब)- निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए वाहन का उपयोग विभाग के लिए सप्ताह में सभी सात दिनों के लिए किया जाएगा। रांघ द्वारा चयनित वाहन के उपयोग को किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित करता है। वाहन अधिकतम प्रतिमाह 2500 किलोमीटर तक चलाया जाना है। अप्रयुक्त किलोमीटर को अगले महीने तक ले जाया जाएगा और 1 माह/2 माह समायोजन अन्यथा शून्य होगा।
- 11- वाहन भौतिक सत्यापन उपरान्त ही अनुबंधित किया जावेगा।

महाप्रबंधक(सं.सं. वा.वा.वा.)

प्रभारी(यांत्रिक/क्रय)

प्रभारी(वित्त)

प्रभारी(एमआईएस)

प्रभारी(मु.नि.)

12- वाहन एक वर्ष की अवधि हेतु अनुबंधित किया जाकर कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अवधि आगामी 6 - 6 माह कर के एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेंगी।

13- निविदाकर्ता द्वारा कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में वाहन को एक माह की सूचना देकर बंद कर दिया जावेगा।

14- अनुबंधकर्ता मालिक को वाहन का पूर्ण रखरखाव, आईल इत्यादि खर्च स्वयं को वहन करना होगा। आवश्यकता अनुसार ए.सी. चलाये जाने पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

15- वाहन के समस्त दस्तावेज पंजीयन, बीमा, परमिट, आदि वाहन में रखने होंगे तथा सभी दस्तावेजों की छायाप्रति कार्यालय में जमा करना हागी। वाहन पासिंग ऑल इण्डिया होना चाहिये।

16- समय-समय पर परमिट, बीमा का नवीनीकरण वाहन मालिक को कराना होगा। जिसकी छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।

17- निविदा स्वीकृति पश्चात कार्यादेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम दस दिवस में वाहन उपलब्ध कराना होगा।

18- वाहन में वाता नुकूलन की सुविधा होना आवश्यक है।

19- वाहन चालक को वाहन की लागबुक प्रतिदिन भर कर वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर कराना होगा।

20- वाहन के अनुबंध उपरान्त वाहन में लगने वाले डीजल या अन्य रखरखाव हेतु संघ द्वारा कोई अग्रिम नहीं दिया जावेगा।

21- वाहन का देयक प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान 15 कार्यदिवस पश्चात् किया जायेगा।

22- वाहन के देयक पर काटें जाने वाले टी.डी.एस का प्रमाण पत्र वर्षान्त में लेखा शाखा द्वारा दिया जावेगा।

23- वाहन चालक के वेतन एवं अन्य मद ई.एस.आई/ई.पी.एफ. एवं दुर्घटना की स्थिति में हानि एवं खामियाजा की स्थिति में ठेकेदार स्वयं ही उक्त सभी दायित्वों के लिये जिम्मेदार होगा।

24- कार्यालयीन कार्य में उपयोग वाहन का टोल टेक्स रसीद लॉग बुक में इन्ट्री उपरान्त उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन उपरान्त मासिक देयक के साथ प्रतिमाह किया जावेगा।

25(अ) यदि निविदाकर्ता नवीन वाहन क्रय कर अनुबंधित करना चाहता है, तो वाहन क्रय कर उपलब्ध कराने हेतु मात्र 15 दिवस का समय दिया जायेगा बशर्ते निविदाकार एल1 हो।

25(ब) उक्त निविदाकार निर्धारित समय सीमा में वाहन उपलब्ध नहीं कराता है, तो अन्य निविदाकारों को अवसर दिया जायेगा, अन्यथा ई.एम.डी जब्त होगी।

महाप्रबंधक(सं.सं./यातायात)

प्रभारी(यांत्रिकी)

प्रभारी(वित्त)

प्रभारी(एमआईएस)

प्रभारी(गु.नि.)

26- वाहन अनुबंधकर्ता द्वारा मांग अनुसार समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर स्थानीय बाजार से वाहन किराये पर लेने पर उक्त व्यय की वसूली अनुबंधकर्ता के देयक से वसूल की जायेगी।

27- वाहन अनुबंधकर्ता द्वारा अनुबंध समयावधि के बीच वाहन बंद किये जाने की स्थिति में एक माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

28- यदि टेके की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद की अधिनिर्णयार्थ आर्बिट्रेटर की नियुक्ति उभय पक्ष की सहमति से होगी यदि इसमें विवाद है, तो आर्बिट्रेटर की नियुक्ति आर्बिट्रेटर एक्ट 1996 के अनुसार होगी व Arbitrator and Conciliator का निर्णय अंतिम होकर उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा। आर्बिट्रेटर की फीस का भुगतान दोनों पक्ष समानता से वहन करेंगे। यहां यह उल्लेखनिय है कि आर्बिट्रेटर विवाद को अधिकतम दो माह की अवधि में निराकरण करेंगे।

29- किसी भी विवाद को चुनौती देने हेतु उज्जैन सहकारी न्यायालय ही उक्त विवादों के निपटारा किये जाने का क्षेत्राधिकार रहेगा।

30- वाहन अनुबंधकर्ता को कार्य आदेश प्राप्ति से एक माह में रु.1000/-- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर उज्जैन दुग्ध संघ से अनुबंध निष्पादित करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

महाप्रबंधक(सं.सं./यांत्रिकी)

प्रभारी(एमआईएस)

प्रभारी(यांत्रिकी/कैय)

प्रभारी(गु.नि.)

प्रभारी(वित्त)



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527071

E-mail: engg.uds@sanchidairy.com, udsplant@yahoo.com

क्रमांक : उ.स.दु.सं./यातायात/2025/3170

दिनांक: 28/07/2025

परिशिष्ट- (ब)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
महोदय,

01	दर प्रस्तुतकर्ता का नाम/पता/	
02	दूरभाष क्रमांक/ ई-मेल आई.डी.	मो. ईमेल:
03	क्या निविदा स्वयं के नाम या साझेदारी/कंपनी के नाम भरा जा रहा है।	
04	साझेदारी/कंपनी का है तो, साझेदारों के नाम, पता, दूरभाष क्रमांक एवं ई-मेल आई.डी. एवं पेन	
05	निविदाकार के स्वयं/साझेदारी/कंपनी को पेन नंबर/ जी.एस.टी. नंबर (प्रतिलिपि संलग्न करें) यदि फर्म पार्टनरशिप में हो, तो सभी पार्टनरों का पेन नंबर प्रस्तुत करें।	
06	वाहन का पंजीयन क्रमांक बीमा पंजीयन क्रमांक (छायाप्रति संलग्न करें)	

(प्रत्येक निविदाकार उपरोक्त वांछित जानकारीयों आवश्यक रूप से भरे एवं चाहे गये प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि ऑनलाइन अपलोड करें)

मैं..... निवासी.....के द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त समस्त जानकारी पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है तथा मेरी संस्था अथवा फर्म को सामान कार्य हेतु ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर एवं मुहर

महाप्रबंधक(सं.सं.यातायात)

प्रभारी(यांत्रिकी/क्रय)

प्रभारी(वित्त)

प्रभारी(एमआईएस)

प्रभारी(गु.नि.)



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527071

E-mail: engg.uds@sanchidairy.com, udsplant@yahoo.com

क्रमांक : उ.स.दु.सं./यातायात/2025/3170

दिनांक: 28/07/2025

परिशिष्ट- (स)

दर प्रपत्र

निविदाकर्ता का नाम/फर्म का नाम.....

क्रमांक	वाहन का प्रकार	मात्रा	दर
01	बोलेरो (माडल 2024 अथवा नवीनतम मान्य) दर किलोमीटर के आधार पर प्रस्तुत की जाना है।	01 नग	रु.
02	बोलेरो 2500km के पश्चात् दर/किलोमीटर	—	रु.
03	अर्टिगा पेट्रोल एवं सीएनजी (माडल 2024 अथवा नवीनतम मान्य) दर किलोमीटर के आधार पर प्रस्तुत की जाना है।	01 नग	रु.
04	अर्टिगा 2500km के पश्चात् दर/किलोमीटर	—	रु.

महाप्रबंधक(सं.सं./यातायात)

प्रभारी(यांत्रिकी/क्रय)

प्रभारी(वित्त)

प्रभारी(एमआईएस)

प्रभारी(गु.नि.)